छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक–26 जून, 2015

क्रमांक–एफ 4–54/2014/56/इसूप्रौ:: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की "राईट ऑफ वे नीति, 2015" संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिसूचित करती है।

राईट ऑफ वे नीति, 2015 के खण्ड 4 के उप–खण्ड 4.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोगमें लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि उक्त नीति 1 फरवरी, 2015 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

बी आनंद बाबू
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

Scanned by CamScanner

(151)

क्रमांक—एफ 4—54 / 2014 / 56 / इ.सू.प्रौ.   रायपुर दिनांक— 26 जून, 2015

प्रतिलिपि—

1 महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़

2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा

3 महापंजीयक, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4 माननीय मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सचिव की ओर सूचनार्थ।

5 माननीय मंत्री / राज्य मंत्री के विशेष सहायक / निज सचिव / निज सहायक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

6 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के उप सचिव

7 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

8 अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समस्त)

9 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

10 उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़

11 नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

12 विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ (समस्त)

13 संभागीय आयुक्त (समस्त), छत्तीसगढ़

14 संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़

15 कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)

16 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही एवं राज्य, चिप्स एवं चॉइस की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

17 राज्य सूचनाविज्ञान अधिकारी, राज्य सूचनाविज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

Scanned by CamScanner

दूरसंचार अधोसंरचना का विकास करने हेतु "राईट–ऑफ–वे" नीति, 2015

1. प्रस्तावना.–

यतः, दूरसंचार अधोसंरचना, इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण एवं सूचना प्राप्ति, जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हेतु तथा स्थानीय व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है, के लिये समर्थकारी अधोसंरचना है। अतएव, "राष्ट्रीय आप्टीकल फाईबर नेटवर्क" (जो इसमें इसके पश्चात् एनओएफएन के रूप में निर्दिष्ट है) का सृजन (विकास) करना आवश्यक है जो कि ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टीविटी सुविधा प्रदान करने हेतु तथा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गवर्नेस, बैंकिंग तथा स्वास्थ्य सेवाएं आनलाईन सुविधा प्राप्त करने में सहयोग प्रदाय करने हेतु "डिजीटल इंडिया इनिटिएटिव" का आधार होगा।

यतः, दूरसंचार अधोसंरचना के सृजन (विकास) के लिए, लोक संपत्ति जैसे कि सड़क आदि में या उस पर या उसके नीचे केबल का प्रतिष्ठापन और प्रबंध कार्य आवश्यक हैं। सेवा प्रदाता द्वारा, इन कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों एवं स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा। अतएव, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एकरूप, पारदर्शी दूरसंचार अधोसंरचना का सृजन (विकास) करने हेतु "राईट ऑफ वे नीति, 2015" अधिसूचित करती है ताकि सेवा प्रदाता को अनुमति प्राप्त करने की प्रकिया सरलीकृत हो।

2. उद्देश्य.–

छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना को विकसित करने हेतु पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से निःशुल्क राईट ऑफ वे की अनुमति प्रदान करना है।

Scanned by CamScanner

3 परिभाषाएं.–

3.1. ''दूरसंचार विभाग'' से अभिप्रेत है दूरसंचार विभाग, भारत सरकार

3.2. ''इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग'' से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

3.3. ''प्रमुख सचिव/सचिव'' से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव/सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

3.4. ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत है संबंधित जिले के जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति;

3.5. ''समिति या जिला समिति'' से अभिप्रेत है खण्ड 6.4. में यथा उल्लिखित इस नीति के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति;

3.6. ''एजेंसी'' से अभिप्रेत है संबंधित अधोसंरचना, जिसमें सड़क, विद्युत या टेलीफोन लाईन, प्रतिष्ठापन, खंभों आदि सम्मिलित है, के निर्माण या मरम्मत हेतु जवाबदेह संबंधित विभाग, संगठन, प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या कंपनी, उनके अधीनस्थ समनुदेशिती सहित सम्मिलित है;

3.7. ''सेवा प्रदाता या आवेदक'' से अभिप्रेत है दूर संचार विभाग से रजिस्ट्रीकृत तथा उसके द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्यपालिक एजेंसी, निगम, फर्म अथवा एजेंसी, जो राईट ऑफ वे प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता हैं;

3.8. ''लाईसेंसी'' से अभिप्रेत है संबंधित सेवा प्रदाता जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना योजना तथा निर्माण के लिये दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त हो;

Scanned by CamScanner

3.9. "ऑप्टिकल फायबर केबल" से अभिप्रेत है दूरवर्ती दूरसंचार हेतु समुचित मापदंड अनुसार एक या अधिक ऑप्टिकल फायबर से अन्तर्विष्ट केबल या हाई–स्पीड डाटा कनेक्शन, जो कि ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, सेल्फ–सपोर्टिंग केबल एवं सभी प्रकार के वायर, केबल जो इस नीति के अंतर्गत बिछाया जाना है, सम्मिलित है किन्तु सीमित नहीं है।

4. प्रवर्तन तथा लागू होना.–

4.1. यह नीति राज्य शासन, स्थानीय निकायों, राज्य के संस्थाओं एवं उनके उपक्रमों द्वारा उनके स्वामित्व और प्रबंधन की सभी संपत्तियों, भूमि एवं सड़कों पर लागू होगी।

4.2. यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

5. नोडल विभाग.–

5.1 इस नीति के क्रियान्वयन एवं अपेक्षित समन्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नोडल विभाग होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को, इस नीति के निष्पादन के संबंध में, नोडल प्राधिकारी भी अधिसूचित किया जायेगा।

5.2 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इस नीति के क्रियान्वयन, निरीक्षण, निगरानी के लिये तथा इस नीति के क्रियान्वयन में उद्भूत विभिन्न मुद्दों (कठिनाईयों) को दूर करने के लिये समुचित दिशानिर्देश, स्पष्टीकरण, व्याख्या, निर्देश समय–समय पर जारी करेगा।

6. अनुमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया.–

6.1 सेवा प्रदाता, दूरसंचार अधोसंरचना के विकास के लिये ऑप्टिकल फायबर केबल को बिछाने हेतु राइट ऑफ वे के लिये अनुमति प्राप्त करने हेतु

Scanned by CamScanner

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ को अपेक्षित प्रारूप में, राज्य कार्ययोजना और जीआईएस नक्शा सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

6.2 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नियत दिनांक को प्रमुख सचिव/सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के समक्ष, सेवा प्रदाता द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत किया जायेगा। विभाग द्वारा सुझाये अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा कार्य योजना के संबंध में दी गयी आवश्यक परामर्श या सुझाव को निगमित करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़, सहमति पत्र जारी करेगा तथा उसकी प्रति, संबंधित कलेक्टर को भी पृष्ठांकित करेंगे।

6.3 सेवा प्रदाता, जिला कार्य योजना को संबंधित कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिले की कार्य योजना में, विभाग जिससे ऑप्टिकल फाइबर की स्थापना के लिये राइट ऑफ वे की अनुमति चाही गई है की सूची साथ ही समुचित मापदण्ड के जीआईएस आधारित नक्शे पर दर्शाते हुए सभी ग्राम, निजी एवं राजस्व भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सड़क तथा विद्युत लाईन नेटवर्क आदि के बारे में विवरण समावेश किया जायेगा। उपरोक्त कार्य योजना में निजी भूमि (संपत्ति) स्वामी से सहमति पत्र भी संलग्न किया जायेगा यदि उन संपत्तियों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।

6.4 प्रत्येक जिला स्तर पर, इस नीति के कियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति गठित की जायेगी–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3	वन मंडलाधिकारी	सदस्य

Scanned by CamScanner

4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग।	सदस्य
5	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
6	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सदस्य
7	संभागीय अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी	सदस्य
8	नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
9	संबंधित एसडीओ, राजस्व	सदस्य
10	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
11	डिप्टी कलेक्टर (प्रभारी आईटी, कलेक्टोरेट)	सदस्य सचिव
12	कलेक्टर द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य

6.5 आवेदक, जिला कलेक्टर द्वारा नियत दिनांक को जिले की कार्य योजना के बारे में जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करेगा और समिति द्वारा सुझाये अनुसार दिये गये सभी परामर्श तथा संशोधनों को कार्य योजना मे निगमित करेगा। पुनरीक्षित योजना में उल्लिखित अनुसार संबंधित विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा और सहमति या यथा आवश्यक पुनरीक्षण के बारे में 15 दिवस के भीतर अपना निर्देश जारी किया जायेगा। तद्नुसार सेवा प्रदाता द्वारा पुनरीक्षित कार्य योजना को जिला स्तरीय समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा। यदि रोल आऊट प्लान निर्देशों के साथ अनुपालन में पाया जाता है तो संबंधित जिला कलेक्टर कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक सहमति प्रदान कर सकेगा। अन्य बातों के साथ साथ, इस सहमति के साथ, संबंधित विभाग द्वारा सभी अन्य सुसंगत अनुमति तथा/या अनापत्ति प्रमाणपत्र भी सम्मिलित होगा।

Scanned by CamScanner

6.6 जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जिला कार्य योजना में अनुरोध अनुसार सहमति पत्र, सेवा प्रदाता से आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर जारी किया जाये।

6.7 विभागों द्वारा जारी की गई अनुमति/अनापत्ति आदेश में उल्लिखित शर्तों का पालन सेवा प्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

6.8 नीति के अंतर्गत, राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना विकास के लिये एनओएफएन योजना के लिये ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क की स्थापना के लिए सभी सेवा प्रदाताओं या अन्य सेवा प्रदाताओं को शासकीय भूमि के उपयोग हेतु राईट ऑफ वे की अनुमति, निःशुल्क दिया जायेगा।

6.9 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि पर कार्य प्रारंभ करने हेतु समुचित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

6.10 सेवा प्रदाता को भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर राईट ऑफ वे की अनुमति हेतु भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अभिप्राप्त करना आवश्यक है।

6.11 अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या विनिर्दिष्ट जिले हेतु रोल आऊट के पूरा होने तक, इसमें से जो भी अधिक हो, के लिये इसमें इसके पश्चात् यथा दर्शित विनिर्दिष्ट राशि की बैंक गारंटी, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा यथा निर्देशित नोडल अधिकारी/विभाग के पक्ष में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। यह शासन या उसके संस्थाओं की संपत्ति को कोई क्षति, गुणहीन कार्य, टूट फूट तथा किसी सेवा में विफल रहने या हानि कारित करने के विरूद्ध सुरक्षा निधि के रूप में रखा जायेगा। इस बात के होते हुए भी या उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी सेवा प्रदाता, उसके द्वारा राइट ऑफ वे के उपयोग करने के कारण, कोई

Scanned by CamScanner

क्षति होने पर व्यथित पक्षकार निजी या अन्यथा को संपूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। बैंक गारंटी संबंधित नोडल विभाग की अभिरक्षा में रहेगा तथा संबंधित विभाग से संबंधित जिले में रोड आऊट पूर्णतः प्रतिवेदन की प्राप्ति पश्चात् ही निर्मुक्त किया जायेगा।

सड़क किनारे कार्य के निष्पादन हेतु सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया बैंक गारंटी

स. क्र.	विभाग	सड़क / राजमार्ग	बैंक गारंटी राशि, बिछाये जाने वाले ऑप्टिकल फायबर प्रति कि.मी.
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार
2	क. बस्तर एवं सरगुजा राजस्व संभाग की सड़क	लोक निर्माण विभाग	रू. 5000 / –
	ख. राज्य में शेष राजस्व संभाग की सड़क	–तदैव–	रू. 25000 / –
3	क. 60 फीट या उससे अधिक चौड़ाई नगर की सड़क	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	रू. 50000 / –
	ख. 30 से 60 फीट चौड़ाई नगर की सड़क	–तदैव–	रू. 25000 / –

Scanned by CamScanner

(155)

	ग. 30 फीट से कम चौड़ाई नगर की सड़क	–तदैव–	रू. 15000/–
4	राज्य के विभागों द्वारा संधारित अन्य अधोसंरचना, संपत्तियां, सड़कें इत्यादि	राज्य शासन के संबंधित विभाग	रू. 5000/–

6.12 राज्य विद्युत पारेषण लाईनों/विद्युत अधोसंरचना के लिये आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सेवा प्रदाताओं को एनओएफएन योजना के तहत् राज्य विद्युत कंपनी, शुल्क प्रभारित नहीं करेगी।

6.13 इस नीति के अन्तर्गत प्रदान किया गया समाशोधन या अनुमति, सेवा प्रदाता को उस मार्ग, राजमार्ग, भूमि या संपत्ति पर कोई स्वामित्व अधिकार या कोई हित, किसी भी प्रकार से, प्रदान किया गया नही समझा जायेगा।

6.14 इस नीति के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या संबंधित जिला कलेक्टर, जारी किये गये किसी या सभी अनुमतियों को वापस लेने के लिये सशक्त होंगे अथवा 15 दिवस के कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् संविदा को समाप्त कर सकेगा अथवा सेवा प्रदाता द्वारा चूक या उल्लंघन को सुधारने या पुर्नस्थापन करने का निर्देश दे सकेगा या क्षति के सुधार/पुर्नस्थापन करने हेतु कोई अन्य एजेंसी नियुक्त कर सकेगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा या अन्य किसी साधन द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से देय राशि का कटौत्रा कर उसकी व्यय की वसूली कर सकेगा।

6.15 इस नीति के प्रभावी कियान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचना, दिशानिर्देश, निर्देश आदि जारी किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

7. क्रियान्वयन प्रक्रिया.—

7.1 किसी जिले में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, सेवा प्रदाता, निर्धारित प्रारूप में सशर्त अनुबंध करेगा।

7.2 जिले में कार्य प्रारंभ करने तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से, सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संबंधित जिला कलेक्टर को अवगत कराया जायेगा।

7.3 सेवा प्रदाता, उसके द्वारा किये गये सेवा के पूर्वावस्था या संपत्ति की क्षति, यदि कोई हो, सेवा की ऐसी क्षति या टूट फूट के 24 घंटे के भीतर, उसके सुधार के लिये सभी सहायता देने तथा बेहतर कार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा। संपूर्ण सुधार तथा पूर्वावस्था कार्य, संबंधित विभाग के मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार तथा उस विभाग के अधीक्षण के अधीन, सेवा प्रदाता के लागत से होगा।

7.4 सेवा प्रदाता, विद्युत उपयोज्य कंपनियों की संपत्तियों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापना के दौरान उसके द्वारा हुई किसी क्षति या टुट फूट के लिये उत्तरदायी होगा। संपूर्ण सुधार, पूर्वावस्था कार्य अथवा राजस्व या अन्य की हानि की लागत, संबंधित विद्युत उपयोज्य कंपनियों को सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया जायेगा। उपयोज्य कंपनियों की ऐसी लाईनों स्थानांतरण करने की स्थिति में, सेवा प्रदाता, संबंधित केबल को अलग करने और पुनःस्थापन करने हेतु उत्तरदायी होगा।

7.5 सेवा प्रदाता, विद्युत सामग्रियों अथवा उपकरणों की सुरक्षा के लिये तथा उनके तारों और खंबों से सुरक्षित दूरी बनाये रखने के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

7.6 सड़क की मरम्मत या सड़क की चौड़ाई में वृद्धि करने की दशा में, सेवा प्रदाता द्वारा रखी गई केबल या डक्ट या कोई अन्य संरचना जिसे स्थानांतरित करना या रखना आवश्यक हो, समुचित प्राधिकारी द्वारा

Scanned by CamScanner

अनुमोदित तथा उपदर्शित विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सभी ऐसे स्थान से ऑप्टिकल फाइबर केबल शिपिटंग, रिट्रेन्चिग और रिलेयिंग कार्य, अपने स्वयं की लागत पर करने हेतु उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदाता द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल शिपिटंग, रिट्रेन्चिग और रिलेयिंग कार्य, संबंधित प्राधिकारी के निर्देश के अनुरूप और संतुष्टि पर किया जायेगा।

7.7 सेवा प्रदाता, संबंधित जिला कलेक्टर तथा अन्य संबंधित विभागों को मरम्मत या संधारण कार्य लेने के बारे में 3 दिवस पूर्व, सूचना देगा।

7.8 स्थल की स्थिति के अनुसार, यदि तृतीय पक्ष, निजी या अन्यथा, की भूमि या सम्पत्ति का उपयोग, जिले के कार्य योजना के भाग के रूप में पूर्णतः या अशतः किया जाना है तो सेवा प्रदाता, समुचित क्षतिपूर्ति अथवा तृतीय पक्ष या सेवा प्रदाता के मध्य पारस्परिक रूप से निर्णित (आपसी की सहमति के अनुसार) किराया भुगतान करने हेतु, उत्तरदायी होगा। ऐसे पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उद्‌भूत होने की स्थिति में, जिला कलेक्टर, क्षतिपूर्ति या किराया या दोनों की सीमा विनिश्चित कर सकेगा, जो कि अंतिम एवं सभी पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

7.9 इस 'राईट ऑफ वे' नीति के अंतर्गत किसी स्थान एवं संपत्ति पर अनन्य अधिकार का दावा, संव्यवहार या स्थापन नहीं करेगा तथा समुचित शासकीय प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली तकनीकी मापदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, किसी अनुवर्ती उपयोगकर्ता या सत्त्व को, या तो प्रथम सेवा प्रदाता द्वारा ऊपर या नीचे या अगल बगल उपयोग करने की अनुमति होगी।

8. सेवा प्रदाता की पात्रता.–

8.1 राईट ऑफ वे की वैधता, सेवा प्रदाता के लाईसेंस की वैधता के साथ को–टर्मिनस रहेगी।

Scanned by CamScanner

8.2 भारत सरकार द्वारा जारी लाईसेंस में उल्लिखित परिभाषा, प्रावधान, पात्रता, शर्तें और सीमा अथवा स्थानीय क्षेत्र के संबंध में समुचित निर्देश, राईट ऑफ वे प्राप्त करने के लिये इस नीति के अन्तर्गत राज्य द्वारा जारी अनुमति के लिये प्रभावशील एवं लागू होगा।

9. ऑप्टिकल फाईबर स्थापना हेतु सड़क किनारे स्थायी नालियों का निर्माण.–

9.1 राज्य एजेसियां, राज्य में राजमार्गों या सड़कों के किनारे पर नालियों (डक्ट) के निर्माण के लिये प्रावधान करेंगे। इन नालियों का उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा ऑप्टिकल फायबर बिछाने के लिये किया जायेगा। शासन के समुचित प्राधिकारी, उपयोगिता शुल्क के रूप में वार्षिक किराया या एकमुश्त भुगतान राशि वसूल करने हेतु हकदार होगा।

9.2 इन नालियों के उपयोग करने की अनुमति एवं उपयोगिता की समीक्षा, जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

9.3 जहां कहीं भी ऐसी सुविधायें, जिला प्राधिकारी द्वारा योजनाबद्ध की गई है, तो सेवा प्रदाता को ऑप्टिकल फायबर पृथक से बिछाने अथवा केबल बिछाने के लिये पृथक से नालियों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10. ई गवर्नेंस सेवा के लिये बैंडबिड्थ का प्रावधान.–

10.1 सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नीचे उपदर्शित अनुसार ई गवर्नेंस सेवा के लिये जिला कलेक्टर द्वारा यथा निर्देशित प्रत्येक प्रशासनिक इकाईयों में एक स्थान पर ऑप्टिकल फायबर केबल पर बैंडबिड्थ कनेक्टिविटी शासन को निःशुल्क प्रदाय किया जाये।

स. क्र.	इकाई	न्यूनतम बैंडविड्थ का प्रावधान
1	राजधानी मुख्यालय	16 एमबीपीएस
2	जिला मुख्यालय	8 एमबीपीएस

Scanned by CamScanner

3	तहसील, खण्ड मुख्यालय	4 एमबीपीएस
3	नगर पालिक निगम	8 एमबीपीएस
4	नगर पालिका	4 एमबीपीएस
5	नगर पंचायत	2 एमबीपीएस

10.2 सेवा प्रदाता के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा जारी रखने तक राज्य में उपरोक्त बैंडबिड्थ कनेक्टिविटी, प्रचालित रहे।

11. मौद्रिक अनुदान / छूट / रियायत.–

नीति के अन्तर्गत दी गई मौद्रिक अनुदान / छूट / रियायत, शास्ति सहित निरस्त अथवा वसूली योग्य समझी जायेगी यदि ऐसी अनुदान / छूट / रियायत, इस नीति के लोक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये दुरूपयोग या उपयोग किया जाता है।

——000——

Scanned by CamScanner